

## साधारण नियम और शर्तें

प्रीपेड कार्ड आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटे (ESFB) द्वारा जारी किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक बैंकिंग कंपनी है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंकिंग का व्यवसाय कर रही है, और इसका पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, चरण 2, स्पेंसर प्लाजा, नंबर 769, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002 है, जिसे बाद में " इक्विटास बैंक के रूप में संदर्भित किया जाता है।

(नियम और शर्तें) कृपया नीचे सूचीबद्ध नियम और शर्तें को पढ़ें, और नियमों और शर्तों की पूरी सूची के लिए, कृपया कार्ड का उपयोग करने से पहले वेबसाइट [www.equitasbank.com](http://www.equitasbank.com) को ध्यान से देखें और पढ़ें। इक्विटास बैंक प्रीपेड कार्ड का लाभ उठाकर, आप बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से नियम और शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं, हर समय उनके द्वारा बाध्य होंगे, और यह भी माना जाएगा कि आपने सभी नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझा है। कार्ड के उपयोग को नियंत्रित करने वाली प्रासंगिक अधिसूचनाओं / दिशानिर्देशों / परिपत्रों में किसी भी बदलाव / संशोधन के साथ खुद को अपडेट रखने के लिए आप जिम्मेदार होंगे।

ESFB लागू और समय-समय पर लागू कार्डों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली संबंधित अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों/परिपत्रों के कार्डधारक द्वारा किसी भी उल्लंघन के कारण सभी दायित्वों को अस्वीकार करता है।

यदि नियम और शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं, तो कार्डधारक को कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए और तुरंत ESFB को कार्ड वापस करना चाहिए। ESFB आपसे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक की शिकायत निवारण नीति को [www.equitasbank.com](http://www.equitasbank.com) से देखने या अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करने का अनुरोध करता है। यह नीति RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और आपके द्वारा नहीं किए गए लेनदेन के लिए आपके खाते / कार्ड के डेबिट होने की संभावना की संभावना में मदद करेगी।

कार्ड खाता विवरण एक्सेस करना: उपलब्ध शेष राशि ("कार्ड शेष") सहित कार्ड से संबंधित जानकारी [www.equitasbank.com](http://www.equitasbank.com) पर लॉग-इन करने के बाद या आपके कार्ड के पीछे सूचीबद्ध फोन नंबर और / या ईमेल पते पर ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल / लिखकर देखी जा सकती है।

कार्डधारकों का उत्तरदायित्व:

आपको इसकी रसीद पर तुरंत कार्ड के रिवर्स साइड पर हस्ताक्षर करना होगा। आपको किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

ESFB द्वारा जारी प्रीपेड कार्ड केवल भारत में समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमत लेनदेन के लिए मान्य होगा, अर्थात् प्वाइंट ऑफ सेल (POS), ई-कॉमर्स और उन सभी ATM जो रुपये / वीजा / मास्टरकार्ड स्वीकार करते हैं। हालांकि, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड केवल पॉइंट ऑफ सेल (POS) और ई-कॉमर्स लेनदेन पर मान्य होगा। प्रीपेड गिफ्ट कार्ड पर नकद निकासी, कैश आउट, रिफंड या फंड ट्रांसफर की अनुमति नहीं है।

प्रीपेड कार्ड हर समय ESFB की संपत्ति होगी और बैंक के अनुरोध पर बिना शर्त के और तुरंत ही बैंक को वापस कर दिया जाएगा।

प्रीपेड कार्ड किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा हस्तांतरणीय या आबंटित नहीं किया जा सकता है।

POS और किसी भी ATM पर कार्ड के उपयोग के लिए कार्डधारक से संबंधित व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) कार्डधारक द्वारा हमेशा गोपनीय रखी जाएगी और यह कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। PIN को किसी भी तीसरे पक्ष, बैंक कर्मचारियों, या व्यापारी प्रतिष्ठानों को, चाहे वह स्वैच्छिक हो या अन्यथा, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी माध्यम से, प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।

RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार और कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, कार्ड जारी करने/पुनः जारी करने के समय, यह केवल भारत के भीतर ATM और पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणों जैसे उपयोग के संपर्क-आधारित बिंदुओं पर उपयोग के लिए सक्षम होगा। ग्राहकों को वे मोबाइल एप्लीकेशन/कस्टमर पोर्टल/ATM/इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉंस (IVR)/शाखाओं/कार्यालयों में लॉग इन करके कार्ड नॉट प्रेजेंट (ऑनलाइन लेनदेन/ई-कॉमर्स) लेनदेन को सक्षम करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, घरेलू PoS /ATM/ऑनलाइन लेनदेन/संपर्क रहित लेन-देन आदि सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लेन-देन सीमा (ESFB द्वारा निर्धारित समग्र कार्ड सीमा, यदि कोई हो, के भीतर) को चालू/बंद करने और सेट/संशोधित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस दिशानिर्देश के प्रावधान प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और मास ट्रांजिट सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले कार्ड के लिए अनिवार्य नहीं हैं।

कार्ड के उपयोग से प्रभावित किसी भी निकासी, हस्तांतरण और अन्य व्यापारी लेनदेन की राशि के साथ कार्डधारक के प्रीपेड कार्ड से तुरंत डेबिट कर दिया जाएगा। कभी-कभी लेनदेन राशि और / या टिप्स, अधिशुल्क, या असाधारण लेनदेन राशि बाद में बाद की तारीख में कार्ड में डेबिट की जाएगी। कार्डधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास ऐसे किसी भी लेनदेन के तहत किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए प्रीपेड कार्ड पर पर्याप्त शेष राशि है।

चाहे कार्डधारक द्वारा अधिकृत हो या नहीं, कार्ड-धारक ESFB द्वारा जारी प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन के लिए जिम्मेदार होगा, और कार्ड या संबंधित PIN के किसी भी अनधिकृत उपयोग के कारण किसी भी तिमाही से उत्पन्न होने वाली कानून, हानि या क्षति के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, और RBI के दिशानिर्देशों या इस व्यवस्था की समाप्ति के बावजूद भारत में लागू किसी अन्य कानून के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

आप प्रीपेड कार्ड जारी करने, नवीनीकृत करने या समाप्ति से पहले बंद करने के लिए ESFB की शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं। बैंक समाप्ति पर आपके प्रीपेड कार्ड खाते को नवीनीकृत करने का एकमात्र अधिकार और विवेकाधिकार सुरक्षित रखता है।

कार्डधारक इन नियमों और शर्तों के अनुसार, कार्ड का यथावत और उचित उपयोग करके कार्ड शेष राशि का उपयोग कर सकता है। प्रीपेड कार्ड खाते में रखी गई राशि पर कार्डधारक को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है।

कार्डधारक को सलाह दी जाती है कि वह लागू प्रभारों सहित खरीदारी/सेवाओं का लाभ उठाने की अपेक्षित राशि के लिए लेन-देन करें, और यदि लागू हो, तो अन्यथा लेनदेन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कार्डधारक लेनदेन के 7 दिनों के भीतर ATM या व्यापारी प्रतिष्ठान में लेनदेन विवरण में मौजूद अनियमितताओं या विसंगतियों के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा। इस समय के दौरान यदि ऐसा कोई सूचना प्राप्त न हो, तो बैंक मान लेगी कि लेनदेन सही है।

यदि लेनदेन को बदल दिया जाता है, तो कार्डधारक को कार्ड खाते में क्रेडिट प्राप्त हो सकता है, लेकिन कार्डधारक को कोई नकद राशि रिफंड नहीं किया जाएगा। ESFB धन वापस करते समय संबंधित व्यापारियों द्वारा लगाए गए लागू शुल्कों की वसूली करेगा।

**खोये हुए और चोरी हुए कार्ड:**

यदि कार्ड या उसका PIN खो जाता है, चोरी हो जाता है, या दुरुपयोग किया जाता है, तो कार्डधारक तुरंत कार्ड के पीछे सूचीबद्ध टेलीफोन नंबरों पर ESFB के ग्राहक सेवा केंद्र ("ग्राहक सेवा केंद्र") से संपर्क करेगा। कार्डधारक को PIN को याद करना चाहिए और PIN मेल्डर को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। रिपोर्ट करने के 24 घंटे के भीतर कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और प्रीपेड कार्ड खाते के तहत पैसे की सुरक्षा का जोखिम उस समय से शुरू होता है जब कार्डधारक कार्ड के खो जाने की रिपोर्ट करता है। ESFB अपने विवेकाधिकार पर और कार्डधारक की पहचान के सत्यापन के बाद निर्धारित शुल्क लेकर खोए हुए कार्ड के बदले में एक नया कार्ड जारी कर सकता है।

**लेन-देन की सीमाएँ:**

बिक्री के बिंदुओं पर ESFB और / या व्यापारी एक निर्धारित समय अवधि ("लेनदेन सीमा") के दौरान कार्ड का उपयोग करके अनुमत लेनदेन की मात्रा और संख्या पर सीमा निर्धारित कर सकते हैं। ESFB, [www.equitasbank.com](http://www.equitasbank.com) की वेबसाइट पर निर्धारित लेनदेन सीमा, कार्ड पर लागू होगी और कार्डधारक को बाध्य करेगी। ESFB, किसी भी समय, किसी भी कारण से लेनदेन सीमा को संशोधित कर सकता है। कार्डधारक इन परिवर्तनों को [equitasbank.com](http://equitasbank.com) पर ऑनलाइन देख सकता है या ग्राहक सेवा केंद्र को भी कॉल कर सकता है।

**उल्लंघन:**

कार्डधारक द्वारा इन नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, ESFB के पास प्रीपेड कार्ड को तुरंत रद्द या समाप्त करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार होगा, इसके खिलाफ किसी भी प्रकार का सहारा लिए बिना।

कार्डधारक ESFB को हानिरहित रखने का वचन देता है और कानून, हानि, क्षति, दावा, दंड, लागत, मुआवजा, शुल्क या व्यय (कानूनी वकील शुल्क सहित) में किसी भी कार्रवाई के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है, कार्डधारक द्वारा इसमें शामिल नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप जो ESFB प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है और / या भुगताना पड़ सकता है।

समाप्ति, रद्दीकरण और अवसान:

कार्डधारक को जारी किया गया कार्ड कार्ड पर मुद्रित अवधि के लिए मान्य होता है। कार्ड पर उल्लिखित समाप्ति तिथि पर कार्ड समाप्त हो जाएगा। ESFB कार्ड के उपयोग को तुरंत रद्द या निलंबित कर सकता है: (i) यदि कार्डधारक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। (ii) यदि कार्डधारक इन "नियमों और शर्तों" के अधीन किसी भी नियमों, शर्तों, अनुबन्धों या उसके दायित्वों का उल्लंघन करता है। (iii) यदि ऐसे PPI जिन्हें लगातार एक वर्ष की अवधि के लिए कोई वित्तीय लेन-देन नहीं होगा, तब निष्क्रिय बना दिया जाएगा। (iv) यदि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या भारत में किसी विनियामक या सांविधिक प्राधिकारी या किसी जांच एजेंसी द्वारा जारी आदेश द्वारा कार्डधारक पर लगाए गए किसी प्रतिबंध या प्रतिषेध की स्थिति में। (v) यदि प्रीपेड कार्ड कार्यक्रम लागू कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों या परिपत्र के तहत अवैध हो जाता है। (vi) यदि इस घटना में, संपूर्ण प्रीपेड कार्ड कार्यक्रम का अवसान हो जाता है। (vii) कॉर्पोरेट/प्रोग्राम प्रबंधक से कार्ड को रद्द या निलंबित करने के विशिष्ट अनुरोध पर, या (viii) रद्द या निलंबित कार्ड के संबंध में भुगतानों को संसाधित करना, या (ix) ESFB को कार्ड के संबंध में भुगतान संसाधित करने में असमर्थ होना या अन्यथा उसके उचित नियंत्रण से परे कारणों के लिए रोका जाना, जिसमें कानून या विनियमन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं।

शुल्क:

लेनदेन शुल्क जैसे नकद निकासी, बैलेंस पूछताछ, और / या अन्य लेनदेन के लिए, जहां भी लागू हो, लेनदेन राशि की डेबिट एंट्री पोस्ट करते समय या दिन के अंत में प्रीपेड कार्ड खाते में डेबिट किया जाएगा। प्रीपेड कार्ड के उपयोग पर लागू प्रभारों/शुल्कों को ESFB द्वारा कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना समय-समय पर संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। प्रभारों और प्रभारों की गणना की विधि ESFB द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी: [www.equitasbank.com](http://www.equitasbank.com)। हालांकि, इसमें निहित कुछ भी ESFB को प्रीपेड कार्ड के माध्यम से किसी भी लेनदेन से लागू कानूनों के तहत आवश्यक स्रोत पर कर कटौती करने से नहीं रोकेगा।

विवादों:

खरीद लेनदेन के मामले में, कार्डधारक के हस्ताक्षर और उस पर उल्लिखित ESFB प्रीपेड कार्ड नंबर के साथ एक बिक्री पर्ची बैंक और कार्डधारक के बीच निर्णायक सबूत होगी कि कार्डधारक द्वारा किए गए देयता की सीमा क्या है।

खरीदे गए किसी भी सामान या प्राप्त सेवाओं के बारे में किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ कोई विवाद या शिकायत कार्डधारक द्वारा सीधे व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ उठाया जाना चाहिए।

ESFB अपने प्रीपेड कार्ड का सम्मान करने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान के इनकार के लिए कोई जिम्मेदारी और दायित्व स्वीकार नहीं करता है।

प्रकटन:

कार्डधारक किसी भी बैंक या वित्तीय या वैधानिक या नियामक प्राधिकरण के साथ उससे/इससे संबंधित जानकारी साझा करने और प्रीपेड कार्ड के उपयोग को स्वीकार करता है और सहमति देता है।

कार्डधारक स्वीकार करता है और इस बात से सहमत है कि ESFB किसी भी बैंक या वित्तीय या सांविधिक या नियामक प्राधिकरण को प्रीपेड कार्ड के उपयोग से संबंधित किसी भी तरह की गड़बड़ी और / या जानकारी की रिपोर्ट कर सकता है। ESFB ऐसे बैंकों या वित्तीय या वैधानिक या नियामक प्राधिकरण के विवरण कार्डधारक को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसमें इस तरह के प्रकटीकरण की सीमा भी शामिल है।

कार्डधारक इसके द्वारा ESFB और उसके एजेंटों, मनोनीत व्यक्ति आदि को ESFB के सहयोगियों के साथ अपने/इसके विवरण और भुगतान इतिहास से संबंधित सभी जानकारी का आदान-प्रदान, साझा या भाग लेने के लिए अधिकृत करता है।

शासकीय कानून और न्यायक्षेत्र:

इन नियमों और शर्तों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को भारत के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा और चेन्नई, भारत में न्यायालयों के अनन्य न्यायक्षेत्र के अधीन होगा।

इन नियमों और शर्तों में बदलाव:

ESFB प्रीपेड कार्ड पर दिए जाने वाले इन नियमों और शर्तों, सुविधाओं और लाभों को बदलने, निष्प्रभाव करने, रद्द करने और संशोधित करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें ब्याज शुल्क या दरें और गणना के तरीके शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं।

- a. ESFB संशोधित नियमों और शर्तों की सूचना अपनी वेबसाइट, [www.equitasbank.com](http://www.equitasbank.com), पर होस्ट करके या जैसे यह निर्णय करे, किसी अन्य तरीके से संप्रेषित की जाएगी।
- b. कार्डधारक को माना जाएगा कि उसने ESFB की वेबसाइट: [www.equitasbank.com](http://www.equitasbank.com) पर पोस्ट किए जाने वाले नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और यदि कार्डधारक प्रीपेड कार्ड का उपयोग जारी रखकर ESFB की वेबसाइट पर पोस्ट की गई नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है, तो उसे माना जायेगा कि उसने उन्हें स्वीकार किया है।

ग्राहक शिकायत निवारण:

- a. प्रीपेड कार्ड और/या इन नियमों और शर्तों से संबंधित किसी विवाद या शिकायत के मामले में, कार्डधारक ESFB के 24 घंटे कस्टमर केयर नंबर 1800-103-1222 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल: [customerservice@equitasbank.com](mailto:customerservice@equitasbank.com) कर सकता है या निम्नलिखित पते पर लिख सकता है: इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, 4वीं मंजिल, स्पेंसर प्लाजा, नंबर 769, फेज II, अन्ना सालाई, चेन्नई - 600 002।

- b. यदि प्रीपेड कार्ड और/या इन नियमों और शर्तों से संबंधित विवाद या शिकायत ESFB के कस्टमर केयर द्वारा पूरी तरह से संबंधित नहीं किया जाता है या हल नहीं किया जाता है, तो ग्राहक ESFB के प्रमुख नोडल अधिकारी के पास जा सकता है, जिसका विवरण उसकी वेबसाइट पर मिल सकता है।
- c. ESFB सहमत होता है कि कार्डधारक द्वारा उठाई गई सभी शिकायतों, विवादों या शिकायतों को समय-सीमित तरीके से संबंधित किया जाएगा और/या हल किया जाएगा।
- d. कार्डधारक किसी भी समय बैंकिंग अम्बुद्समन के पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए जा सकते हैं।

उपरोक्त नियमों और शर्तों समय-समय पर इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पूर्ण विवेक पर बदलने के योग्य हैं। अद्यतित नियमों और शर्तों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट [www.Equitasbank.com](http://www.Equitasbank.com) पर जाएं।